(151)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **के0सी0 जैन**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक–1946–दो/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–05–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर सम्भाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक–73/अपील/2005–06

.....

मुंशी सिंह पुत्र श्री धीरज सिंह गुर्जर
निवासी–ग्राम डोंगरी तह0 व जिला–शिवपुरी, म0प्र0

————आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

————अनावेदक

.....

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24/8/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 73/अपील/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 29–05–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक के द्वारा ग्राम डोंगरी स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 373 में से फर्सी पत्थर का अवैध उत्खनन किये जाने की रिर्पोट प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी द्वारा कार्यवाही प्रारंभ करते हुये प्ररकण में उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के आधार पर 1.42 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर, शिवपुरी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपर

कलेक्टर के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 11 / 200–05 / अपील पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 30.09.2005 को आदेश पारित करते हुये अपील निरस्त की गई । इसी आदेश से दुखित होकर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, । यहॉ पर भी विधिवत प्रकरण क्रमांक 73 / 2005–06 / अपील पंजीबद्ध किया गया। अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 29.05.06 से आवेदक की अपील को सारहीन एवं बलहीन मानकर खारिज किया तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर शिवपुरी के द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखा । न्यायालय अपर आयुक्त के इसी आदेश व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3 / आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत यह बताया है कि विचारण न्यायालय द्वारा अवैध उत्खनन की कार्यवाही आवेदक एवं सांहब सिंह, होतम सिंह गुर्जर के विरूद्ध की गई। जबकि साहब सिंह व होतम सिंह नाम का कोई व्यक्ति ग्राम डोंगरी में नहीं रहता है और विचारण न्यायालय द्वारा तलब किये गये फिर भी विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुये । इस कारण से इस नाम के व्यक्ति का इस प्रकरण में कोई सम्बन्ध नहीं है । संहिता की धारा 247 के अन्तर्गत हित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है । नायब तहसीलदार को उक्त प्रकरण में कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार ही नहीं है । संहिता की धारा 247 (7) को देखा ही नहीं गया है, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि इस प्रावधान के तहत कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार कलेक्टर का है । जबकि कलेक्टर द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई । उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया गया कि विशेष विधि के अन्तर्गत कार्यवाही वर्जित मान्य की जाती है । स्पेशल लॉ हमेंशा जनरल लॉ पर डोमिनेन्ट होता है । स्वीकृत तौर पर अवैध उत्खनन का मामला बताकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी तब इस स्थिति में विशेष विधि के रूप में मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1969 बनाये गये है और इस कानून में इस अधिनियम के नियम–53 में अवैध उत्खनन सम्बन्धी प्रावधानों का वर्णन किया गया है । उपरोक्त स्थिति में भी विचारण न्यायालय में कार्यवाही किया जाना अवैधानिक एवं न्याय संगत तथा क्षेत्राधिकार विहीन है । तहसील न्यायालय ने जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वही भी पूर्ण विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के प्रतिकूल है । साक्षीगण की साक्ष्य पर प्रति परीक्षण भी नहीं हुआ है तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी मनमाने तौर पर साक्ष्य विधान के विपरीत व प्रकरण में ग्रहण कर ली गई है तथा एक तरीके से मनमाने तौर पर प्रकरण का

निराकरण कतई अवैधानिक रूप से कर दिया गया । फलतः आपेक्षित अर्थात् अवैध उत्खनन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक शासकीय अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसका जवाब भी प्रस्तुत किया गया है । आवेदक के अभिभाषक विचारण न्यायालय में निरंतर उपस्थित हुये है । विचारण न्यायालय में शासन साक्षियों के कथन भी हुये है और उनका प्रति परीक्षण भी हुआ है । साक्षियों के कथन एवं पंचनामा से आवेदक का अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित है । जहॉ तक संहिता की धारा 247 (7) का प्रश्न है, इसके अंतर्गत सरकार द्वारा दिये गये किसी अनुदान के निबंधनों द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न किया जाये, समस्त खनिजों, खानों तंथा खदानों का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा, जिसे समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी, जो कि ऐसे अधिकारों के समुचित उपयोग के लिये आवश्यक हो। इस प्रावधान के तहत सरकार ने कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी को शक्तियां प्रदान की है । यदि सरकार ने किन्हीं खनिजों, खानों या खदानों पर अपना अधिकार किसी व्यक्ति को समनुदेशित कर दिया हो और यदि ऐसे अधिकार के समुचित उपभोग के लिये आवश्यक हो कि उपधारा 1 व 2 में विनिर्दिष्ट की गई समस्त शक्तियों का या उनमें से किसी भी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिये तो कलेक्टैर, लिखित आदेश द्वारा ऐसी शक्तियॉ ऐसी शर्तों तथा आरक्षणों के अध्यधीन रखते हुये जो कि वह विनिर्दिष्ट करें, उस व्यक्ति का प्रत्यायोजित कर सकेगा, जिसे कि वह अधिकार समनुदेशित किया गया हो । परंतु कोई भी ऐसा प्रत्याजोजन तब तक नहीं किा जायेगा जब तक कि ऐसे समस्त व्यक्तियों पर जो प्रभावित हुई भूमि में अधिकार रखते हों, सूचना का सम्यक रूप से तामील न कर दी गई हो, और उनकी आपत्तियों को सुन न लिया गया हो और उन पर विचार न कर लिया गया हो । संहिता की धारा 247 (7) के अधीन शस्ति के अधिरोपण के लिये आवश्यक शर्तें– संहिता की धारा 247 की उपधारा 7 के अधीन किसी व्यक्ति पर कोई शास्ति अधिरोपित की जा सके इसके लिये

निम्नलिखित तथ्य साबित होना आवश्यक है:– 1. उस व्यक्ति ने कोई खनिज निकाला या हटाया है, 2. यह खनिज किसी खदान या खनन से निकाला या हटाया है, 3. ऐसी खदान या खान का अधिकार सरकार में निहित है और उसके द्वारा समनुदेशित नहीं किया गया है, 4. ऐसा निकाला या हटाया जाना विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किया गया है, 5. निकाले गये खनिज का मूल्य । इन प्रावधान के तहत शासन द्वारा कार्यवाही के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है, जिसका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में किया है। आवेदक ने इस न्यायालय में जो तर्क प्रस्तुत किये है उनका कोई ठोस आधार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों पर विचार करके आलोच्य आदेश पारित किया है जो अपने स्थान पर उचित है । अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–05–2006 से अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं कि है ।

6/ अतः उक्त प्रावधान के परिपालन में अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–05–2006 यथावत रखा जाता है और आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,